ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 229-231

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

महात्मा गान्धी : एक महान समाज सुधारक

1. आभा वाजपेई 2.पवन कुमार मिश्रा"

1. प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, डॉ0 भगवत सहाय षासकीय महाविद्यालय,ग्वालियर (म0प्र0) भारत।
2. शोध अध्येता– राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म0प्र0) भारत।

Received- 24.08.2020, Revised- 28.08.2020, Accepted - 03.08.2020 E-mail: - pawanmishra5075@gmail.com

सारांश : गांधी जी समाज के उत्थान को – आपस में प्रेम भाव रहे।

गांधी जी ने समाज के उत्थान को महत्व दिया था। पिछड़े हुए ओर रूढिबद्ध समाज में आमूल परिवर्तन का समर्थन किया था। देश में फैली बुराइयों और मान्यताओं को दूर करना अपना भूकर्तव्य माना था। वैसे महात्माजी से पहले आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज आदि संस्थाओं ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रयत्न तो अवश्य किए थे, परन्तु उसका कोई विशेष असर नहीं दिखाई दिया था। तो फिर सांस्कृतिक पुनरूत्थान युग में सिर्फ हिन्दूत्व को लेकर ही सुधार के कार्य हुए थे। जबकि महात्माजी ने समाज के प्रत्येक ढॉचे को परखकर उसमें सुधार या परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने समाज में रामराज्य की स्थापना की कल्पना की थीं एक ऐसा रामराज्य, जो आदर्श स्वरूप से स्त्री और पुरूष की समानता प्रदान करें, जहॉ पर कोई सांप्रदायिकता या अस्पृश्यता जैसी कुरीतियॉ न होकर सभी लोग आपस में प्रेम भाव से रहें।

कुंजीभूत शब्द– उत्थान, रूढि़बद्ध, समर्थन, कर्तव्य, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, सामाजिक सुधार, पुनरूत्थान, आदर्श।

आदर्श भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिख था, 'मैं एक ऐसे विधान के निमित्त चेष्ठा करूँगा जो भारत को हर तरह की गुलामी व प्रभुता से मुक्त करेगी। और जरूरत पड़ने पर उसे अपराध करने का अधिकार रहेगा, जिसे गरीब से गरीब अपना देश समझेगा जहॉ पर सब जातियों के लोग मिल जुलकर रह सकेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता तथा मादक दृव्यों जैसे अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। स्त्रियों के अधिकार पुरूषों के समान होंगे, चूंकि शेष विश्व के साथ न हम भिन्न भाव से रहेंगे न तो किसी का शोषण करेंगे। अतः हमें कम से कम सेना की आवश्यकता होगी।'

गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि जब तक देश में सांप्रदायिक एकता की स्थापना नहीं होगी तब तक देश में स्वराज्य प्राप्त करना और उसे टिकाये रखना असम्भव है। यही वैमनस्य मिटाने का उन्होंने खूब प्रयत्न किया। उनकी एक ही सोच थी कि सभी जातियों के बीच रोटी बेटी का व्यवहार हो और भेदभाव खत्म हो जाय।

वे ऐसे आदर्श भारत की कल्पना करते थे कि मानो भारत एक पंछी हो और हिन्दू तथा मुस्लिम उसके दो पंख कट गये और पंछी की उडान डगमगा गई। वे हिन्दू और मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। यदि उन्हें कोई दुःख था तो दोनों का आपस में झगड़ने का। हिन्दू–मुस्लिम एकता से महात्माजी का कतई यह मत नहीं था कि दोनों अपने–अपने धर्म का प्रचार न करें। इस बारे में वह कहते थे, यदि अपने अंतर का आदेश मानकर कोई आर्यसमाजी प्रचारक अपने धर्म का उपदेश करता है और मुसलमान प्रचारक अपने धर्म का उपदेश करता है, और उससे हिन्दू–मुस्लिम एकता खतरे में पड़ जाती है तो कहना चाहिए कि यह एकता बिलकुल ऊपरी है। उन्होंने बारड़ोली कांग्रेस के अवसर पर कहा था, सांप्रदायिक एकता की स्थापना की पहली शर्त यह है कि प्रत्येक कांग्रेस जन, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, अपने आप में हिन्दू, मुसलमान, ईसाइ, जरस्थुत, यहुदि आदि का यानी एक शब्द में प्रत्येक हिन्दू और गैर हिन्दू का प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए प्रत्येक कांग्रेस को दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ मित्रता कायम करनी और बढ़ानी चाहिए। दूसरें धर्मो के प्रति इतना ही आदर रखना चाहिए जितना कि अपने धर्म के प्रति। वह एक ही बात मानते थे कि देश, समाज और जनता का कल्याण साम्प्रदायिक एकता में है।

महात्माजी ने अस्पृश्यता को भारत के लिए कलंक माना है। वह उसे एक वहम ओर पाप मानते थे। जिसका निवारण उनकी दृष्टि से हर एक भारतीय का धर्म था। शायद इसी समस्या ने भारतीय समाज की नींव हिला दी थी। और समाज का विभाजन हो चुका था। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण करने वालों को अपने भाषण में कहा था, कई कांग्रेसजनों ने इस काम को केवल राजनैतिक दृष्टि से ही जरूरी समझा है और यह नहीं माना है कि हिन्दूओं को इसकी आवश्यकता अपने धर्म की रक्षा के लिए है। कांग्रसी हिन्दू अगर हर काम को शुद्ध भावना से अपने हाथ में ले तो सनातनी कहलाने वाले लोगों पर आज तक जो असर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

हुआ है उससे कही अधिक असर पड़ सकेगा। हर एक हिन्दू को हरिजनों को अपनाना चाहिए। उनके सुख–दुःख में भाग लेना चाहिए।

गांधीजी के नजरिये से अलग–अलग राष्ट्र की तरह अलग–अलग धर्म या जाति भी कसोटी पर चढ़ी थी। अछूतों के प्रति उच्चवर्णों ने जो घिनौना वर्ताव किया था वो ना माफी के काबिल था। जिस कारण वे सवर्णों से प्रायश्चित चाहते थे। वे मानते थे कि शुद्धीकरण की जरूरत सवर्णो को है, उनकी मानसिकता को है। उनके अनुसार सिर्फ अछूतों में ही कोई खास एब ऐसा नहीं था जो सवर्णों में ना हो। हम सवर्ण अभिमान में इतना अंधे हो जाते हैं कि हमें अपने ही दोष नहीं दिखते, और दलितों के छोटे–छोटे दोष को हम बड़ा बनाकर उनसे घृणा करते है। ईश्वरी अनुग्रह और प्रकाश का ठेका किसी एक जाति का या राष्ट्र का नहीं है। वे बिना किसी भेदभाव के उन सब शब्दों को प्राप्त होते है जो ईश्वर की भक्ति और आराधना करते है। हम सब एक ही ईश्वर के बनाये गये बन्दे है तो इसमें अलगाव कैसी ? यदि मानवता को हम जीवित रखना चाहते है तो हमें आपसी भेदभाव को भूलना चाहिए। जैसे, श्री कृष्ण ने फटे पुराने चिथड़े पहने हुए सुदामा का जो स्वागत किया था ऐसा स्वागत हमने किसी का नहीं किया, या फिर उन्होंने भी किसी और का नहीं किया। प्रेम धर्म का मूल है।

तुलसीदासजी के अनुसार– दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

गांधीजी ने नारी को अहम् व्यकितत्व प्रदान करते हुए नारी को साक्षात् त्यागमूर्ति बताया है। वे कहते है जब कोई स्त्री किसी काम में जी जान से लग जाती है, तो वह पहाड़ को भी हिला देती है। नारी वर्ग की दुर्दशा के लिए उन्होंने समाज के पुरूष वर्ग को ही जिम्मेदार बताया है। उनके अनुसार पुरूष वर्ग ने अपने स्वार्थ और अहम् की पूर्ति हेतु नारी को घर की चार–दीवारी में बंद कर उसे सभी अधिकारों से वंचित कर दिया। इस परिस्थिति पर विचार करते हुए बापू ने लिखा है, "पुरूष स्त्री जाति को एक ओर से दबाता है, अज्ञात रखता है, उसकी उपेक्षा और निंदा करता है, दूसरी ओर से उसे अपने को तृप्त करने का साधन मात्र मानता है और इसके लिए वह स्त्री को गुड़िया की तरह अपनी इच्छानुसार नचाता है, उसकी खुशामद करता है और इस प्रकार स्त्री की भोगवृत्ति को भड़काने का प्रयास करता है। इस कारण मात्र स्त्री जाति का नहीं बल्कि पुरूष जाति का और सारे समाज का अधःपतन होता है। स्त्री जाति के प्रति उत्पन्न हुए तुच्छता के भाव को हम मानसिक विकार के अलावा और कुछ नहीं कह सकते।"

वे मानते थे कि यदि स्त्रियों को इन सब अत्याचारों से मुक्ति पानी है तो उन्हें मानसिक बल धारण करना होगा और अपने आप को कोई भी स्त्री कभी निर्बल या अबला न माने तोही उन सबका उद्धार हो सकता है, उनका कहना था कि, स्त्री जाति अबला न होकर, उसमें अपार शक्ति रही है, उसका कारण है उनमें पाई जाने वाली तीव्र श्रद्धा, वेगवती भावना और अत्यंत त्याग की तीव्र सहन करने की शक्ति है। स्त्री स्वभाव से ही कोमल और धार्मिक वृत्ति की है और जहॉ पुरूष श्रद्धा खोकर ढीला पड़ जाता है, वहॉ स्त्री उसे सही रास्ते पर लाती है।

उनके अनुसार यदि स्त्री जाति अपने बल और कार्यक्षेत्र की दिशा को भली–भॉति समझ लें, तो वह अपने को कभी पुरूष की आश्रित न माने और पुरूष का तथा उसके कार्यों का अनुकरण करना ही उसका आदर्श न बने। वह पुरूष को रिझाने अथवा ललचाने के लिए अपने शरीर को सजाए नहीं बल्कि अपने ह्रदय के गुणों से ही सुशोभित करने का प्रयत्न करें। अर्थात् बापू के अनुसार स्त्री को घर में रहकर बच्चों की देखभाल करना और घर व्यवस्था सम्भालना यह प्रथम कर्तव्य है। साथ ही उन्हें समाज सेवा और ग्रामोद्धार भी करने चाहिए।

गांधीजी ने वेश्या स्त्रियों के बारे में कहा था कि, यह हमारे समाज का एक रोग है और इसे दूर करने में सबसे ज्यादा सहाय स्त्रियों से ही मिल सकती है। यदि, स्त्रियॉ इस कार्य में साथ नहीं देंगी तो समाज से वेश्यावृत्ति का प्रश्न हल नहीं होगा। यह वेश्यावृत्ति उतनी ही पुरानी है जितनी कि यह दुनिया। पर आज की तरह वह नगर जीवन का एक नियमित अंग शायद ही रही हो। वह दिन भी दूर नहीं कि समग्र मानवजात एक होकर इस बात के खिलाफ होगी और समाज को वैश्यावृत्ति से मुक्त करायेगी। वह वेश्यावृत्ति को अभिशाप मानते थे और कहते थे कि यदि नारी जाति का उद्धार करनी है तो आवश्यक है कि पहले वैश्याओं का उद्धार किया जाय।

१९३७ में जब कांग्रेस ने प्रान्तों में शासन भार संभाला तो अपनी महत्वपूर्ण योजना पुस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, यदि हम अहिंसात्मक प्रयत्न के द्वारा अपना ध्येय प्राप्त करना चाहते हैं, जो लाखों स्त्री, पुरूष, शराब, अफीम वगैरह नशीली चीजों के व्यसन के शिकार हो रहे हैं उनके भाग्य का निर्णय हम सरकार पर नहीं छोड सकते। कांग्रेस कमेटियों को ऐसे विश्रान्ति गृह खोलने चाहिये, जहॉ थके मॉदे मजदूर को विश्राम मिले। उसे स्वास्थ्यपूर्ण और सस्ता कलेवा मिले और उसके लायक खेल खेलने का इन्तजाम हो। यह सारा काम चिताकर्षक और उन्नतिकारक है। शराब पीना बापू अनैतिक मानते थे। उनका यही भी मानना था कि शराब पीने से उनकी आत्मा मर जाती है। साथ–साथ

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

शारीरिक बिमारियों से भी ज्यादा हानि उन्हें पहुँचती है। क्योंकि बिमारी से सिर्फ शारीरिक हानि होती है लेकिन शराब से शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुँचाती है।

गांधीजी सती प्रथा के प्रखर विरोधी थे। उनका मानना था कि समाज कल्याण के लिए स्त्रियों का सती होना जरूरी नहीं है। सती होने से तो बेहतर है वह जीवित रहकर अपने समाज, देश एवम् विश्व की सेवा कर सकती है। सती होना पवित्रता की निशानी नहीं है।

भारत में बालविवाह देहातों एवम् पिछड़ी जातियों में ज्यादा है। महात्माजी बालविवाह को हमारे समाज का अभिशाप मानते है। यह प्रथा उन्हें बाल विकास को रोकने वाली लगती है, तथा बालको के लिए नाशकारी माना है। ऐसी प्रथाओं का अनुमोदन करके हम ईश्वर से और सत्य तथा स्वराज्य सक दूर हो जाते है। यदि पिता अपनी छोटी लड़की का विवाह करना चाहता है, अथवा किसी एक को ही जिसमें शक्ति हो, पिता के घर का त्याग कर देना चाहिए।

महात्माजी ने बाल विधवाओं की बेसहारा हालत देखकर एक वास्तविकता यह समझ ली थी कि उन पर होने वाले अत्याचार ही उन्हें वैश्यावृत्ति की ओर जाने के लिए मजबूर करते है। इसके बजाय यदि उनका विवाह सही उम्र में दूसरी बार हो जाय तो वे बरबादी के रास्ते से बच जाय। बापू हिन्दू विधवाओं को पूजनीय एवम् माता मानते थे। यदि उसका हम अपमान करें तो हम उसके अपराधी है। हमें उसका आदर और सत्कार करके उन्हें समाज का भूषण बनाना चाहिए। वे वैधव्य धर्म का पालन करे तो वह उचित होगा, मगर उन विधवाओं को जबरन उनकी मर्जी विरूद्ध वैधव्य धर्म के बंधन में बॉधना पाप है। अपने कर्तव्यपथ से विमुख हुए उन माता–पिता को वह करते है कि अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए जिन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को किसी बूढ़े के हाथों या तो बेच देते हैं या शादी कर देते हैं उनके लिए शायद अपने पाप के प्रायश्चित स्वरूप अपनी बालविधवा बेटी का पुनर्विवाह करना होगा। वे यह मानते थे कि यदि विधुर पुरूष का पुनर्विवाह हो सकता है तो फिर विधवा विवाह क्यों नहीं ?

महात्माजी ने अंतरजातीय विवाह को समर्थन दिया था। वे जाति के बंधनों से मुक्त होकर जाति भेद को समाप्त करके युवक–युवती और उनके माता–पिता समझदारी से जाति के बाहर भी विवाह के लिए तैयार हो ऐसा मानते थे। वे तो यहां तक मानते थे कि परदेशी और परधर्मी के साथ विवाह करने में प्रतिबंध होना चाहिए। जाति भेद को समाप्त करने तथा फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अंत करने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है।

बापू परदा प्रथा के स्पष्ट विरोधी थे। उनके अनुसार परदाप्रथा स्त्रियों की पवित्रता की द्योतक नहीं है। स्त्रियों को पवित्र रहने के लिए किसी भी परदे की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्रता बाहर से लादी नहीं जा सकती या फिर परदे से नहीं आती। वास्तव में तो परदे ने स्त्रियों की प्रगति और विकास को रोका है। साथ ही स्त्रियों की रक्षा सिर्फ बाहरी परदे से नहीं बल्कि अंदर के हिस्से मन–हृदय–आत्मा से होनी चाहिए। अन्यथा यह प्रथा हर हाल में स्त्रियों के लिए अकल्याणकारी ही है।

सारतः गान्धीजी ने अपने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों पर अपने विचारों से गहरा प्रहार किया जिससे समाज में एक समता मूलक व्यवस्था की स्थापना सम्भव हो सके। गान्धी जी ने अपने अनुभवमूलक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढियो और कुप्रथाओं का तार्किक रूप से विरोध कर समाज को एक नये युग में प्रवेश करने का माग प्रशस्त किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गांधी और गांधीवाद – पट्टामि सीतारमैया।
2. हरिजन बन्धु 26 मार्च 1936।
3. बापू और मानवता – कमलापति त्रिपाठी।
4. मास्टर गान्धी – के.एम.मुन्शी।
5. यंग इंडिया– 11.08.1920।
6. मंगल प्रभात – गॉधी।
7. गान्धी ग्रंथमाला 10वॉ खण्ड।
8. हरिजन 23.07.1938।
9. गान्धी विचार दोहन – कि.ला. मशरूवाला।
10. M aajtak.com
11. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र।

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*